

मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने 10 से अधिक नीतियों को दी मंजूरी

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने 11 फरवरी, 2025 को भोपाल में आयोजित **कैबनेट** बैठक में विभिन्न **औद्योगिक क्षेत्रों** से संबंधित 10 से अधिक नीतियों को मंजूरी दी।

मुख्य बंदी

- **प्रमुख नीतियाँ:** राज्य सरकार नए **ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS)** के आयोजन से पहले प्रदेश में नविश लाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये कई नीतियों को स्वीकृति दी है।
- कैबनेट ने प्रदेश को विकसित एवं समृद्ध बनाने के लिये **औद्योगिक संवर्धन नीति-2025** की स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 10 सेक्टर वशिष्ट नीतियाँ स्वीकृत की गई हैं:
 - **कृषि, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण नीति**
 - **टेकस्टाइल नीति**
 - परधान, फुटवियर, खलौने और सहायक उपकरण नीति
 - एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादन प्रोत्साहन नीति
 - फार्मास्यूटिकल्स नीति
 - बायोटेक्नोलॉजी नीति
 - मेडिकल डेवाइस नीति
 - ईवी वनरिमाण नीति
 - नवकरणीय ऊर्जा उपकरण वनरिमाण नीति
 - हाई वेल्यू-एड वनरिमाता नीति
- औद्योगिक संवर्धन नीति-2025 के उद्देश्य:
 - मध्य प्रदेश में **औद्योगिक विकास** को बढ़ावा देना।
 - **उद्योगों के योगदान को राज्य के जीडीपी में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2030 तक लगभग 6 लाख करोड़ रुपए करना।**
 - नविशकों को आकर्षित करने के लिये एक मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।
 - पर्यावरण की दृष्टि से सतत औद्योगिक विकास और **संतुलित क्षेत्रीय विकास** को बढ़ावा देना।
 - रोजगार-प्रधान क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगले पांच वर्षों में **20 लाख नवीन रोजगार के अवसर सृजित करना।**
 - नविशक सुविधा में सुधार करना और राज्य में व्यापार करने की प्रक्रिया को सरल बनाना।
- **नविश-आधारित प्रोत्साहन:**
 - 50 से 150 करोड़ रुपए तक नविश करने वाले उद्योगों को 40% तक प्रोत्साहन मलिया।
 - 200 करोड़ रुपए तक के नविश पर अतिरिक्त रियायतों के साथ 32% प्रोत्साहन मलिया।
- **बजिली पर छूट:**

- नविशकों को बजिली पर विशेष छूट का लाभ मलिंगा ।
- प्रबंधन और बुनयादी ढाँचे के लयि वत्ततीय सहायता:
 - प्रबंधन सहायता के लयि 10 करोड रुपए दए जाएंगे ।
 - बुनयादी ढाँचे के वकिस के लयि 5 करोड रुपए आवंटति कए जाएंगे ।

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/madhya-pradesh-cabinet-approved-more-than-10-policies>

